



न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00029 (03/2017) एल.आर. एक्ट

छगनलाल सैनी पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2
तारानगर तहसील व जिला चूरु।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तारानगर, जिला चूरु।
2. नौजा पत्नी स्व. आशाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर जिला चूरु। (मृत्यु होने पर आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा नाम डिलीट किया गया)
3. देऊ उर्फ देवकी पुत्री स्व. आशाराम पत्नी मोडुराम जाति सैनी निवासी छतरी के पास, सांत्यू बस स्टेण्ड के पास, तारानगर जिला चूरु।
4. अमर सिंह पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी गाँव सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. प्रहलाद पुत्र श्री दुर्गादत्त जाति सैनी निवासी 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

6. पूरखचन्द पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर तहसील व जिला चूरु।
7. मनोहरलाल पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर तहसील व जिला चूरु।

गौण रेस्पोडेन्ट

उपस्थित: 1. श्री द्वारका दास पारीक - अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भीमसिंह शेखावत - अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3 ता 5

निर्णय

दिनांक: 03-03-2021

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरु, के निर्णय दिनांक 19-03-2014 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 10.07.2012 खसरा नं. 88 व 100 के विरुद्ध प्रथम अपील पेश कर इनको निरस्त करने तथा सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरण के निस्तारण अनुसार इन्तकाल दर्ज किये

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर



जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2014 द्वारा अपीलान्त की अपील खारिज कर दी, जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस कर कंहा कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 88 तादादी 1 बीधा 2, खसरा नं. 100 तादादी 35 बीधा 18 बिस्वा कुल तादादी 37 बीधा वाके रोही इन्दासी तारानगर में अपीलान्त के पिता स्व. आशाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चली रही थी। उक्त कृषि भूमि आशाराम की स्वयं अर्जित सम्पत्ति थी। उसे संवत् 2012 में खातेदारी मिली थी। स्व. आशाराम ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 25.02.2009 को उक्त कृषि भूमि की वसीयत अपीलान्त के पक्ष में 1/3, 1/3, 1/3 की गई थी। स्व. आशाराम द्वारा की गई उक्त वसीयत प्रथम एवं अन्तिम थी। आशाराम की मृत्यु दिनांक 15.04.2009 को हो गई थी तथा उसी समय वसीयत लागू हो गई थी। अपीलान्त ने वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार तारानगर को दिनांक 15.04.2011 को प्रार्थना पत्र पेश किया। उन्होंने हल्का पटवारी से सर्मक करने का कहा, हल्का पटवारी ने कहा कि मीटिंग में इन्तकाल दर्ज करवा दुगा। अपीलान्त की बहिन देऊ ने भूमि क्रय विक्रय करने वाले व्यक्तियों से मिलकर इन्तकाल गलत रूप से दर्ज करवा लिया। अपीलान्त की बहिन जयकोरी ने दिनांक 27.09.2011 को एक रिलिजडीड भी अपीलान्त के पक्ष में करवादी थी। इन्तकाल का पता चलने पर अपीलान्त ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी तारानगर के समक्ष पेश किया था। इसी दौरान देऊ ने गलत रूप से दर्ज करवाये गये इन्तकाल के आधार पर खसरा नं. 88 व 100 में से दिनांक 23.05.2012 को उक्त कृषि भूमि में से 1/6 हिस्सा हवाई विक्रय कर दिया। जबकि देऊ का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त विक्रय के आधार पर इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 10.07.2012 खसरा नं. 88 तादादी 1 बीधा 2 बिस्वा व खसरा नं. 100 तादादी 35 बीधा 18 बिस्वा कुल तादादी 37 बीधा में से 1/6 कृषि भूमि का

du
अति.सं.मांगीय आयुक्त
बीकानेर




इन्तकाल नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा अमरसिंह पुत्र राजाराम, प्रहलाद पुत्र दुर्गादत्त के नाम इन्तकाल गलत रूप से स्वीकृत किया गया। विक्रय दिनांक 23.05.2012 को निरस्त किये जाने हेतु अपर जिला न्यायाधीश राजगढ़ में समक्ष दावा पेश कर रखा है, उक्त बैनामा वहां निरस्त होना है। तहसीलदार तारानगर में अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं था। देऊ ने अपने बयानों में स्वीकार किया था कि मैंने जमीन का कब्जा कागजों में दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील मात्र यह कहते हुए खारिज कर दी की नामान्तरण एक फिसकल प्रक्रिया है जबकि वास्तविकता यह है कि नामान्तरण फिसकल कार्यवाही नहीं है बल्कि एक मुख्य कार्यवाही है, क्योंकि जब तक उक्त नामान्तरण खारिज नहीं किया जाता है तब तक अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19-03-2014 निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 10.07.2012 निरस्त किया जावे तथा सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरण के निस्तारण अनुसार इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेंट संख्या 3 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि वारिसानों के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ है जो सही है, अपीलान्ट ने काफी देरी से प्लान बनाकर गलत वसीयत पेश की, नामान्तरण के समय इनको पता था। वारिसानों के नाम इन्तकाल दर्ज करना गलत प्रक्रिया नहीं थी। अपीलान्ट ने विभिन्न न्यायालय में दावे कर रखे हैं, जो अभी विचाराधीन हैं। दावे में विस्तृत प्रक्रिया अनुसार वहां साक्ष्य पेश होंगे तथा इनके राईट्स भी दावे में तय होंगे। नामान्तरण केवल फिसकल कार्यवाही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

1. प्रकरण में अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना हक जरिये वसीयत बताता है। इनका यह भी कथन है कि तहसीलदार को वारिसानों के


जि.संभागीय आयुक्त
पंचकोर



नाम इन्तकाल दर्ज नहीं करना चाहिये था। वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था।

2. रेस्पोंडेन्ट ने वसीयत को फर्जी बताया है तथा वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज को सही बताया है।
3. रेस्पोंडेन्ट देव ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया, इसका भी वाद न्यायालय में विचाराधीन है।
4. नामान्तरणकरण में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारो के मध्य विभिन्न न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि मृतक के वारिसान के नाम दर्ज है। वसीयत सम्बन्धी प्रश्न विवादास्पद होने पर इस प्रश्न का विनिर्णय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। न्यायालय के निर्णय अनुसार ही नामान्तरण की कार्यवाही की जानी है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम इस स्थिति में उपरोक्त कारणों से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। तथा सिविल न्यायालय के निर्णय तक उभय पक्ष इस विवादित भूमि को आगे रहन बैय अथवा हस्तान्तरण नहीं करेंगे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफतर रहे। निर्णय आज दिनांक 03-03-2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

du 3/3/21
(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर